न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/101/2022

प्रवेश तिथि 01.07.22

कम्प्यूटर आई.डी. सं. 2022/179

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री विक्रमसिंह पुत्र प्रभुदयाल यादव, निवासी–बी–14, कर्मचारी कॉलोनी, अशोक विहार, अलवर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज.)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.08.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 23.05.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत खाता नं0 163 पुराना 180 भू–अभिलेख निरीक्षक अलवर, पटवार हल्का अलवर नं.01 ख.नं. 989/2578 वर्ष 2012 गैर खातेदारी की नकल बावत 02 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया।
4. प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की सूचना/विनिश्चय से अपीलार्थी को सूचित नहीं किए जाने के कारण प्रा0पत्र दिनांकः 28.06.22 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः सू.अ.अधि./2022/1758 दिनांकः 14.07.22 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा प्रेषित जवाब नोटिस का परीक्षण किया। अपील व सूचना आवेदन में वर्णित तथ्यों का परीक्षण करने पर जाहिर हुआ कि अपीलार्थी का प्रथम आवेदन दिनांकः 23.05.2022, प्रत्यर्थी विभाग को कब प्राप्त हुआ, का अंकन नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उक्त आवेदन दिनांक 23.05.2022, पत्रांकः 1607 दिनांकः 20.06.2022 के माध्यम से तहसीलदार अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु अन्तरित किए जाने बाबत अंकन किया है जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न नहीं की गई है, साथ ही उक्त अन्तरण **काफी विलम्ब से किया गया है।**

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) अन्तर्गत यह प्रावधान है कि "इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु **किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पॉच दिनों के पश्चात् नही किया जाएगा।**"

9. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रावधान को नजरअंदाज कर प्रा0पत्र का अन्तरण किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

10. अस्तु **प्रथम अपील स्वीकार** की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के **प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 23.05.2022 में वांछित सूचना, अन्तरित कार्यालय/तहसीलदार अलवर से बिन्दुवार प्राप्त कर निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे,** अन्तरित कार्यालय में दस्तावेजी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी तद्नुसार स्पष्टतः अपीलार्थी को सूचित करें।

11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ तहसीलदार अलवर को भी प्रेषित की जावे।

12. आज दिनांकः 01.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)